


5.8.24

वकील पार्थी उप.। वकील पार्थी द्वारा डिप्टी अनुसूचक शासक
रिकॉर्ड में संकलन होगा बताया। प्राथमिक पत्र में कोई कामवाही
शेष नहीं है पर प्राथमिक पत्र स्वीकार किया जाता है पत्रावली
नंबर से वह हीकर दाखिल रफतार हो।

आदेश से उपलब्ध अनुमाना राना।

✓

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)



GCMs
2024/82